पाक की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं

राजा को राहत, फिलहाल नहीं जाएंगे जेल

आफत में पाकिस्तान

इस्लामाबाद | एजेंसियां

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है। कोर्ट ने गुरुवार को कथित भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए टाल दी। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने कहा कि अशरफ को गिरफ्तार करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामला स्थगित कर दिया।

इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की दलील पर नाराजगी जाहिर की थी। ब्यूरो के अध्यक्ष फसीह बुखारी ने कहा कि अब तक एकत्रित सबूत पर्याप्त नहीं हैं और इनकी मदद से दोषसिद्धि की संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत में पेश की गई जांच रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है। बुखारी ने कहा कि जांच अधिकारियों ने छानबीन में जल्दबाजी की और अपनी रिपोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए। बुखारी ने कहा कि अगर अब तक की जांच के आधार पर मामला दर्ज किया जाता है तो सभी संदिग्ध बरी हो जाएंगे। इस पर नाराज पीठ ने कहा कि ब्यूरो के रुख से वास्तविकता की झलक नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूरो को निर्देश देते हुए कहा कि अब तक हुई जांच के सभी रिकॉर्ड न्यायालय को सौंपे जाएं। हालांकि, ब्यूरो के वकील ने तर्क दिया कि अदालत एजेंसी के जांच रिकॉर्ड को देख नहीं सकती, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। अधिकारियों ने इसके बाद बताया कि रिकॉर्ड रावलपिंडी में एक अधिकारी के पास है और न्यायालय के रजिस्ट्रार को सौंप दिया जाएगा।

मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ कर रही है। पीठ ने रेंटल पावर प्रोजेक्ट में राजा परवेज सहित 16 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दे रखा है।

सुप्रीम कोर्ट नाराज

- कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी, कहा ब्यूरो के रुख में वास्तविकता नहीं
- एनएबी के प्रमुख ने कहा, जांच अधिकारियों ने छानबीन में जल्दबाजी की और अपनी रिपोर्ट में पर्याप्त सबूत नहीं पेश किए

कोर्ट प्रतिबद्ध है

'ऐसा लगता है कि बिजली परियोजनाओं से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि वे कानून से ऊपर हैं। न्यायालय इस मामले में कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।'
इफ्तिखार चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, पाक सुप्रीम कोर्ट

1. गुरुवार को भी इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में कादरी के समर्थक सड़कों पर जमा रहे।
2. बारिश भी प्रदर्शनकारियों के हौंसले को नहीं डिगा पाई और वे डटे रहे।
3. पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करते धार्मिक नेता ताहिर उल कादरी।

कादरी की फंडिंग की जांच शुरू

पाकिस्तानी की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने कादरी के अभियान के लिए की जा रही फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय अखबाद द ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एफआईए ने जांच के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, संघीय राजस्व विभाग और अन्य एजेंसियों से इस संबंध में जानकारी मांगी है। हवाला कारोबारियों और धनशोधन के करोबार में लगे लोगों से भी पूछताछ की है। ऐसे आरोप हैं कि कादरी के इस अभियान को विदेशी समूहों से मदद मिल रही है।

'इस्लामाबाद प्रस्ताव' हुआ मंजूर : कादरी

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों के साथ पांच घंटे की वार्ता सफल होने के बाद गुरुवार शाम को टीएमक्यू नेता तहीर उल कादरी ने ऐलान किया कि 'इस्लामाबाद प्रस्ताव' मंजूर कर लिया गया है जो मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है।

समझौते के ऐलान की खबर सुनने के बाद चार दिन से पाक नेशनल एसेंबली के पास धरना दे रहे कादरी के समर्थक खुशी से नाचने लगे। पांच घंटे बंद बुलेट वैन में समझौता वार्ता में चार विंदुओं पर सरकार से समझौता हुआ है। पीएमएल एन की अगुवाई में विपक्षी दलों के भी कादरी के खिलाफ पीपीपी के प्रयासों का समर्थन किए जाने के बाद हालात में कुछ बदलाव आया।

मीडिया में आलोचना भी : कादरी की पिछले दो दिन से मीडिया में काफी आलोचना हो चुकी है। महिलाओं और बच्चों को भी प्रदर्शन में शामिल करने को लेकर मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कादरी की जमकर आलोचना हुई।

सुबह जरदारी ने दिए थे बल प्रयोग न करने के आदेश

मीडिया में आई कुछ खबरों के बाद गुरुवार सुबह पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के नजदीक धरना दे रहे कादरी के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। जियो न्यूज टेलीविजन को जरदारी ने फोन पर बताया कि इस्लामाबाद में धरना दे रहे कादरी समर्थकों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। धरने पर बैठे सभी लोग इसी देश के नागरिक हैं। राष्ट्रपति की ओर से यह स्पष्टीकरण पाकिस्तान सरकार द्वारा कादरी समर्थकों के खिलाफ बल प्रयोग करने की अटकलों के बीच आया था।

वर्ल्ड राउंडअप

अमेरिका में भारतवंशी ने की पिता की हत्या

वाशिंगटन। अमेरिका के नार्थ कैरोलिना शहर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी की पहचान 28 वर्षीय व्यक्ति जतिन पटेल के रूप में की है। उसने बताया कि यह घटना माउंट होली सिटी में घटी। जतिन ने विवाद के बाद अपने 62 वर्षीय पिता अश्विन पटेल की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर गास्टोन काउंटी जेल भेज दिया है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि घटना के 12 घंटे के बाद जतिन को गिरफ्तार किया गया। पिता और पुत्र दोनों शहर में बीपी गैस स्टेशन चलाते थे। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

अभिनेत्री सोफिया हक की लंदन में मौत

लंदन। लोकप्रिय वीडियो जॉकी और अभिनेत्री सोफिया हक का गुरुवार को यहां एक अस्पताल में मौत हो गई। वह 41 वर्ष की थीं। सोफिया न्यूमोनिया से पीड़ित थीं और उनकी जांच चल रही थी। माना जा रहा है कि इसी जांच के दौरान उनके फेफड़ों में रक्त का थक्का जम गया और उनकी मौत हो गई। चैनल वी की वीजे के तौर पर भारत में चर्चित सोफिया ब्रिटेन में लोकप्रिय मंच एवं टीवी अभिनेत्री थीं।

हत्यारोपी 17 भारतीय दुबई से जल्द लौटेंगे

दुबई/ पटियाला। दुबई की एक अदालत ने शारजाह में पाकिस्तान के नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा पाए भारत के 17 लोगों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। आज इस मामले में घायल हुए दो लोगों को मुआवजे का आदेश देकर मामले का निपटारा कर दिया। इस मामले से जुड़ी वकील बिंदू सुर्श चेट्टूर ने बताया कि अदालत ने दोनों घायलों को एक लाख दिरहम देने का आदेश दिया।

आईफोन पर फेसबुक यूजर्स मुफ्त में करेंगे बात

सैन फ्रांसिस्को। फेसबुक ने आईफोन यूजर्स के लिए विशेष मैसेंजर एप्लिकेशन तैयार किया है। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस एप्लिकेशन के जरिए लोग मुफ्त में बात कर सकते हैं। फिलहाल इस सेवा की शुरुआत कनाडा और अमेरिका में की गई है। इस प्रकार इन देशों के नागरिक वाईफाई और डाटा कनेक्शन के जरिए इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

चैरिटी के लिए शकीरा की ऑनलाइन गोदभराई

लॉस एंजिलिस। लातिन अमेरिकी पॉप गायिका शकीरा ने दुनिया के सबसे गरीब बच्चों की मदद के मकसद से अपनी एक टॉपलेस तस्वीर जारी की है। फेसबुक और ट्विटर पर जारी की गई इस तस्वीर में शकीरा के साथ उनके फुटबॉल खिलाड़ी मित्र गेरार्ड पिक भी दिख रहे हैं। दरअसल शकीरा पिक के पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं। इस क्रम में उन्होंने ऑनलाइन गोदभराई शुरू करते हुए अपने प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वे यूनिसेफ का साथ देकर उनके बच्चे का मान बढ़ाएं।

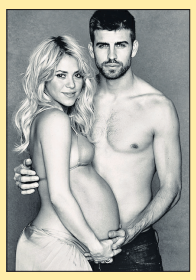

शकीरा के साथ उनके मित्र गेरार्ड पिक

पाकिस्तान से अभी कोई बातचीत नहीं : खुर्शीद

नई दिल्ली | एजेंसियां

नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से बार-बार संघर्ष विराम उल्लंघन के बीच भारत अब इस मसले पर पाकिस्तान से जल्दबाजी में बातचीत करने के पक्ष में नहीं है।

पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की ओर से बातचीत की पेशकश के बाद गुरुवार को हुई सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों के मंत्रियों के बीच सीधी बातचीत जल्दबाजी में नहीं हो सकती। पाकिस्तान सीमा पर हाल में दो भारतीय सैनिकों की बर्बरतापूर्ण हत्या की घटना को स्वीकारने से इनकार कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि पुंछ में हुई दोनों मुल्कों के सैन्य अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग के बाद भी पाक की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में भारत अब सोच-विचार के बाद ही पाक से बातचीत के समले पर कोई फैसला करेगा। इससे पहले सलमान खुर्शीद और रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति की बैठक में नियंत्रण रेखा पर ताजा हालात की जानकारी दी।

भारत का दो टूक जवाब

- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक में हुई पाक के द्विपक्षीय वार्ता संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा
- खुर्शीद बोले, अब सोच-विचार के बाद ही पाक से वार्ता पर कोई फैसला किया जाएगा

भारत और पाकिस्तान ने पिछले साठ साल केवल दुश्मनी को पालने में बिता दिए। लेकिन अब हमें सोचना है कि क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को भी यही विरासत देना चाहते हैं। हम कहेंगे, नहीं।
हिना रब्बानी खार, विदेश मंत्री, पाकिस्तान

एफबीआई से समझौते के कारण सजा-ए-मौत से बचा

सजा के अंजाम तक पहुंचा अपराध

सजायाफ्ता आतंकवादी डेविड हेडली के सहयोगी तहव्वुर राणा को पैगंबर मुहम्मद साहब के कार्टून प्रकाशित करने वाले डेनमार्क के अखबार जिललैंड्स-पोस्टन के कोपहेगन स्थित कार्यालय को बम से उड़ाने की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया है। इस मामले में उसे 14 साल की सजा सुनाई गई है।

व्यक्तिगत जीवन

- 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्म
- कैडेट कॉलेज हसन अब्देल से स्कूली शिक्षा पूरी की
- पाकिस्तानी सेना में चिकित्सक के रूप में कर चुका है काम
- 1997 में पत्नी के साथ कनाडा गया, 2001 में मिली वहां की नागरिकता

कानूनी शिकंजा

18 अक्तूबर **2009** जिललैंड्स पोस्टन के कार्यालय पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार
16 मई **2011** शिकागो में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई
23 मई **2011** अदालत में गवाहों के बयान दर्ज होने शुरू हुए
09 जून **2011** अदालत ने दोषी करार दिया

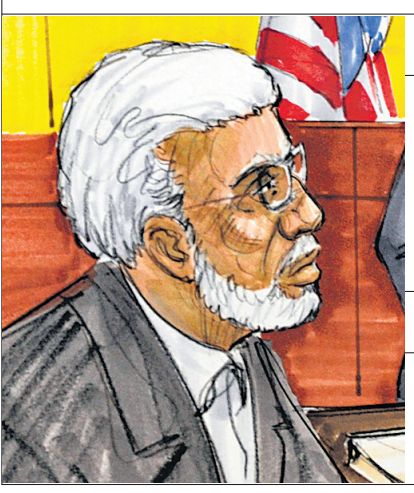

मुंबई हमले की साजिश में रहा शामिल

- राणा पर 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में लश्कर-ए-तैयबा को साजो-सामान मुहैया कराने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है
- हमले से पहले मुंबई की यात्रा पर आया था, इस हमले के आरोपी आंतकी कोलमन डेविड हेडली के साथ थे नजदीकी रिश्ते
- लश्कर के लिए मुंबई की टोह लेने वाले हेडली ने एफबीआई से समझौता किया जिससे वह संभावित मौत की सजा से बच गया
- इसी वजह से राणा को भी इस मामले में अमेरिका में छूट मिल गई

आईएसआई से संबंध

राणा पर अपने सहयोगी हेडली के साथ पाक खुफिया एजेंसी के मेजर इकबाल के साथ सूचनाओं को आदान प्रदान करने का आरोप है।

परिवार की फरियाद

52 वर्षीय राणा के वकीलों ने उसके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से सजा में नरमी की गुजारिश की है। (स्रोत: एजेंसी)

ओबामा ने हथियार नियंत्रण आदेश पर किए हस्ताक्षर

वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हथियारों से जुड़ी हिंसा को नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने हथियारों को नियंत्रित करने संबंधी प्रावधानों वाले 23 शासनादेशों को अपनी मंजूरी दी हैं।

ओबामा ने बुधवार देर रात व्हाइट हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन शासनादेशों पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर उन्होंने कहा, 'हम अब इस मुद्दे पर और अधिक देर तक चुप नहीं बैठ सकते हैं। मैं अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके इस किस्म की हिंसा को काबू करने की कोशिश करूंगा। हमारी संसद को भी इस बाबत कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे।'

इस मौके पर न्यूटाउन के सैंडी हूक प्राथमिक स्कूल गोलीबारी कांड के पीड़ित बच्चों व शिक्षकों के रिश्तेदार भी मौजूद थे। **(एजेंसी)**

सख्त कानूनों के समर्थन में सिख

वाशिंगटन। अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के बंदूक कानूनों को कड़ा करने के प्रयास की सराहना की है।

'सिख काउंसिल ऑन रिलिजन एंड एजूकेशन' (एससीओआरई) के अध्यक्ष राजवंत सिंह ने बताया कि सिख समुदाय अमेरिकी समाज में घातक हथियारों का प्रसार रोकने के लिए ओबामा द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। **(एजेंसियां)**

सेना की कार्रवाई में 34 बंधक मरे

नौकशैट | एजेंसियां

अल्जीरियाई सेना की ओर से गुरुवार को इस्लामी अपहरणकर्ता पर की गई कार्रवाई में 34 बंधक और 15 अपहरणकर्ता मारे गए। समाचार एजेंसी एएनआई ने अपहरणकर्ताओं के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि अल्जीरिया की सेना के विमानों ने एक गैस संयंत्र पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि इसकी स्वतंत्र एजेंसियों से पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं 20 बंधक बचकर भाग निकले।

प्रवक्ता ने कहा कि सेना की कार्रवाई के मद्देनजर कुछ बंधकों को एक वाहन में बैठा कर सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा था। तभी यह हमला किया गया जिसमें वह मारे गए। अल्जीरिया की सैन्य कार्रवाई की ब्रिटेन ने भी पुष्टि की है। मारे गए आंतकियों में अबू अल बारा भी शामिल है जिसके नेतृत्व में बुधवार को 41 विदेशी नागरिकों को अपहृत कर लिया गया था। इनमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, नार्वे और जापान के नागरिक हैं। इस अपहरण को पड़ोसी देश माली में फ्रांस द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई के विरोध में किया गया।

इसकी जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े संगठन 'सिग्नेटरीज फॉर ब्लड' ने ली है। फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल फ्रांस 24 ने एक बंधक के हवाले से बताया कि आंतकियों ने बंधकों को विस्फोट लगी बेल्ट पहनने पर मजबूर किया है। एक बंधक ने टेलीफोन पर जानकारी दी कि हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एक साथ दो जगहों पर हमला किया था।

आतंक

- माली में फ्रांसीसी कार्रवाई का बदला लेने के लिए 41 विदेशियों को बनाया गया था बंधक
- बंधकों में मुख्य रूप से ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, नार्वे और जापान के नागरिक शामिल थे

50% घटा सीडीएमए स्पेक्ट्रम आरक्षित मूल्य

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीडीएमए मोबाइल परिचालकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य 50 फीसद घटाने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दी। इस तरह के कदम से रूस की सिस्तेमा की स्थानीय इकाई को नीलामी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पिछली नीलामी में ऐसी कंपनियों के लिए 800 मेगाहटर्ज बैंड में अखिल भारतीय सेवा के लिए पांच मेगाहटर्ज स्पेक्ट्रम का न्यूनतम मूल्य 18,200 करोड़ रखा गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे घटाकर 9,100 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

जलवायु के कहर में खत्म हो गए मड़ुवा-कोदो

नई दिल्ली | अतुल कुमार सिंह

ग्रामीण लोक कथाओं में रोहा नामका एक हट्टा-कट्टा किसान हुआ था। उसका नाम रोहा था।

कहा जाता है कि किसी फौजदारी मामले में वह जेल चला गया। इसी बीच आषाढ का महीना आया और इस महीने का आया रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्र में जेल के सीखचों से बाहर हो रही बारिश को देखकर उस रोहा की अचानक आह निकल गयी।

उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा- 'हाय रोहिणी, घर रोहा न रहा।' ग्रामीण और किसान समाज में खेती को लेकर जो कुछ कहावतें प्रचलित रही हैं, उनमें इसे भी किसान बड़े चाव से कहा-सुना करते हैं।

असल में हुआ यह था कि रोहा रोहिणी नक्षत्र में अपने खेतों में हर साल मड़ुवा की रोपनी करता था। यह मड़ुवा उसके पूरे परिवार के लिए साल ड्डार के ड्डोजन का आधार हुआ करता था।

सो इस साल वह घर पर नहीं था और मड़ुवा न रोप पाने का उसका मलाल उसके साल भर के परिवार के भरण-पोषण का साधन छूट जाने को लेकर था।

लोक कथा के अनुसार, जेलर ने उसकी व्यग्रता के बारे में पूछा तो रोहा ने अपनी व्यथा बताई। दयालु जेलर ने उसे मड़ुवा रोपने के लिए पेरोल पर छोड़ने की व्यवस्था करा दी। जब उसका रोहिणी में लगाया मड़ुवा कुछ बड़ा हुआ तो हाथी भी सूंड से उस पौधे के झुंड को नहीं उखाड़ पाया।

अपने इलाके यानी, उत्तर बिहार में बड़े-बुजुर्गों से सुना है कि मुफलिसी में मड़ुवा सहारा होता है। यानि मड़ुवा के पुआल को लोग संजोकर रखते थे।

बरसात के समय या ऐसे ही दुर्दिन में जब गांव-गिराम के गरीब लोगों के पास अनाज की कमी हो जाती थी, तो इसी पुआल को मसला जाता था।

कहा जाता है कि मड़ुवा गरीबों का ऐसा सहारा था और ऐसा विश्वासी साथी कि इस पुआल से कुछ न कुछ मड़ुवा निकल ही आता था। लेकिन आज 20 साल की हो चुकी पीढ़ी में मड़ुवा की रोटी खाने की बात को दूर, शायद ही इस अनाज को किसी देखा भी हो।